International Journal ofApplied Research 2017; 3(5): 471-474

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(5): 471-474
www.allresearchjournal.com
Received: 25-03-2017
Accepted: 27-04-2017

डॉ. प्रदीप कुमार
प्रोफैसर, अध्यक्ष इतिहास विभाग,
एम.आर सरकारी कालेज,
फाजिलका, पंजाब, भारत

Correspondence
डॉ. प्रदीप कुमार
प्रोफैसर, अध्यक्ष इतिहास विभाग,
एम.आर सरकारी कालेज,
फाजिलका, पंजाब, भारत

महाराजा रणजीत सिंह और बीकानेर के रियासत के संबंध

डॉ. प्रदीप कुमार

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2017.v3.i5g.10116

प्रस्तावना

लाहौर के प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह का बीकानेर के महाराजा रत्न सिंह के लाभ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे महाराजा रणजीत सिंह के पास रत्न सिंह ने हाथी, घोड़े, जेवर आदि सम्मान भी भेजे थे। लार्ड आकलैंड के समय भारत की पश्चिमोतरी सीमा के अफगानीसतान में कुछ गड़बड़ चल रही थी। अहमदशाह दुर्रानी के वंशज शाहशुजा को हटा कर उसकी जगह दोस्त मुहम्मद को गद्धी पर बिठा दिया गया था तो उसके खिलाफ अंग्रेजों से सहायता मांगी, जो स्वीकार न हुई। उधर दूसरी तरफ शाहशुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। जब दोस्त मुहम्मद ने फारस और रुस के साथ बातचीत शुरु की तो अंग्रेजों, रणजीत सिंह और शाहशुजा के बीच में एक संधि हुई, जिसके अनुसार शाहशुजा को अफगानिस्तान का राज्य मिला इस प्रकार दोस्त मुहम्मद का फ्रांस और रुस से सम्बन्ध टूट गया। अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर, सिरसा, पंजाब के मार्ग में सराये, कुऐं बनवाने और राहदारी घटाने के सम्बन में भी लिखा पढ़ी हुई। महाराजा ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार कर में कमी की। एक मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसकी सूचना गवर्नर जनरल के पास भेज दी थी। पहले प्रति ऊंट आठ रुपया कर लगता था जो घटाकर आठ आना कर दिया और व्यापार का भी आदान प्रदान हुआ और नागौर से बीकानेर में ऊंट खरीद कर लाते थे।

कैप्टन जैकसन भावलपुर एवं बीकानेर के बीच की सीमा सम्बन्धी झगड़ा तय करने के लिए बीकानेर गया। सीमा सम्बन्धी निर्णय के समय बीकानेर वालों ने कहा कि हमारी सरहद–दंद तक है, लेकिन भावलपुर वाले कहते है कि सोतर तक हमारी सरहद है। इस मामले पर दोनों में झगड़े वाली स्थिति हो गई इस स्थिाति में महाराजा रणजीत संह एवं अंग्रेजों के बीच सुलह हो गई। जब सिक्खों से पहली बार अंग्रेज सरकार को लोहा लेना पड़ा। 1845–46 में तो उस समय बीकानेर के महाराजा ने उसे यथोचित सहायता पहुंचाई थी क्योंकि दीवान मूलराज बागी हो गया था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था। अंग्रेज सरकार ने महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा मुल्तान के मार्ग में थाने स्थापित कर दिए जासे जिससे उध मुलतान में न जा सके और मूलराज की संपति मुल्तान में रहने वाले व्यापारियों के पास जमा हो।

महाराजा रणजीत सिंह एक बहादुर योद्धा, सफल सेनापति और दूरदर्शी राज्य नेता के साथ एक उच्चकोटि का प्रशासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए एक कुशल–शासन प्रबंध की व्यवस्था की थी। महाराजा रणजीत सिंह को विरासत में अशांति और गड़बड़ी ही प्राप्ति हुई थी, परन्तु अपनी योग्यता व कार्य कुशलता के साथ उसने पंजाब में व्यवस्था, कानून का राज्य और खुशहाली स्थापित की थी। उसने केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानिक प्रशासन में भी एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। उसने सिविल प्रशासन की विभिन्न शाखाओं–न्याय प्रबंध और अर्थ–व्यवस्था इत्यादि के क्षेत्र में भी कई लाभदायक सुधार किए थे। उसने अपनी फौज का संगठन पश्चिमी सैनिक प्रणाली में किया। उसके शासन प्रबंध की एक मुख्य विशेषता यह भी कि उसकी सरकार का मुख्य उद्धेश्य कोई नवीनता लाना नहीं था, बल्कि प्रचलित इस व्यवस्था को, परम्पराओं को और रीति रिवाजों को नियमित करना और उनको कोई कानूनी शक्ल (रूप) देना था। [1]

महाराजा रणजीत सिंह ने मुगल और मिसल शासन प्रणाली को आधार बना कर उस में उपयोगी सुधार किए। महाराजा रणजीत सिंह ने 'महाराजा' की पदवी भी धारण की थी। उसके अधीन बेअंत शक्तियॉ केन्द्रित थी। वह कोई भी कानून बना सकता था, उसको किसी भी तरह लागू कर सकता था। उसकी आज्ञा ही कानून थी। वह सबसे बड़ा न्यायधीश था, कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके फैसले को बदल नहीं सकता था। महाराजा रणजीत सिंह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता था, बल्कि प्रजा की भलाई की तरफ अधिक ध्यान देता था। वह तानाशाह शासकों की तरह अभिमानी स्वभाव का नहीं था।

साधु–संतों के दरबार में आने पर वह उनका हार्दिक अभिनन्दन किया करता था और वह काफी धार्मिक विचारों का था। उसने एक बार गलती करने पर अकाली फूला सिंह से अपनी नंगी पीठ पर कौड़े लगवाऐ थे। उसने गुरू नानक देव जी और गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम पर सिक्के भी जारी किए थे। (नानक शाही व गोबिन्द शाही सिक्के) उसकी मोहर पर (Royal Seal) ''श्री अकाल सहाऐ'' लिखा हुआ था। वह अपने आप को गुरू गोबिन्द सिंह जी का 'रणजीत नगारा' (गुरू गोबिन्द सिंह जी के उपदेशों का ढोल पिटण वाला) समझता था। महाराजा रणजीत सिंह अपनी सरकार को (सरकार–ऐ–खालसा) खालसे की सरकार कहा करता था। उसने 'सिंह–साहिब' की पदवी भी धारण की हुई थी। वह इतना सीधा–साधा सम्राट था कि वह 'ताज'का भी प्रयोग नहीं करता था और वह अपने सिहांसन पर भी नहीं बैठता था। रणजीत सिंह का राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य ;मबनसंत जंजमद्ध था। [2]

जब गुरू नानक देव जी ने राजपूताना की यात्रा की तो उन्होनें भावलपुर, दीपालपुर, कसूर, लाहौर और बीकानेर की भी यात्राऐं की थी। भावलपुर, दीपालपुर, कसूर और लाहौर के क्षेत्र की सीमा बीकानेर राज्य के साथ लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्ख गुरूओं के बीकानेर यह भावलपुर, दीपालपुर, कसूर इत्यादि राज्यों के साथ अटूट सम्बन्ध थे। महाराजा रणजीत सिंह जो लाहौर का महाराजा था वह पेशावर, मुलतान, अटक, भावलपुर, दीपालपुर, सिआलकोट, कश्मीर इत्यादि राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इन में से पेशावर, मुल्तान की विजय उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह दोनों व्यापारिक, भौगोलिक व सैनिक दृष्टि से काफी लाभदायक थे। फिर महाराजा ने भावलपुर, सिआलकोट पर भी अपना अधिकार कर लिया और अपने राज्य की सीमा बीकानेर राज्य के साथ मिला दी थी। बीकानेर भी भौगोलिक, व्यापारिक दृष्टि से काफी लाभदायक था।

महाराजा रणजीत सिंह उत्तर–पश्चिम में स्थित अफगान राज्यों को जीतना चाहता था। उसकी इस क्षेत्र में प्रमुख विजय–अटक, मुल्तान, कश्मीर पेशावर थी। जब कि मुल्तान का क्षेत्र पंजाब, सिंध अफगानीस्तान व मध्य ऐशिया के बीच में व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र भी था। मुल्तान का महत्व उसकी भौगोलिक दृष्टि के कारण था। एक तरफ तो लाहौर, दिल्ली, भावलपुर, बीकानेर को रास्ते जाते थे। दूसरी तरफ सिंध, बलोचिस्तान, कंधार इत्यादि के साथ संबंध थे।

महाराजा रणजीत सिंह की सहायता अकाली फूला सिंह ने भी की थी। शेरे–ऐ–पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को असल रूप में विस्तार करने के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले शहादत का जाम पीने वाले 96 वें करोड़ पंथी अकाली बुढ़ा दल के छठे मुखी व जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब अकाली फूला सिंह निहंग सिंह की लासानी कुरबानी को सिक्ख जगत् कभी नहीं भूल सकता। अकाली बाबा फूला सिंह ने निहंग सिक्खों की अकाली फौज के मुखी के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह की लासानी कुरबानी को सिक्ख जगत् कभी नहीं भूल सकता।

बीकानेर के महाराजा रत्न सिंह के लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रतापूर्ण सबंध थे। महाराजा रत्न सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह को खरीता भी भेजा था। जब महाराजा रणजीत सिंह का वि.सं. 1896 (ई.सं. 1839) में देहांत हो जाने पर, उसका पुत्र खड्ग सिंह गददी पर बैठा, तो उसके पिता के साथ ही अपनी मित्रता के कारण, महाराजा रत्न सिंह ने उसके पास व्यास वासुदेव के द्वारा हाथी, घोड़े, जेवर आदि सामान टीके के तौर पर भेजा था। [3]

इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब के राजाओं के साथ राजपूताने बीकानेर राज्य के राजाओं का परस्पर मित्रता का सम्बंध था।

लार्ड ऑकलैंड के समय भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा के अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रही थी। अहमदशाह दुर्रानी के वंशज दोस्तमुहम्मद वहां का स्वामी बना। पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने उधर का पेशावर का ईलाका दबा लिया था। दोस्त मुहम्मद ने उसके खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगी, जो स्वीकार न हुई। उधर शाहशुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। जब दोस्त मुहम्मद ने फ्रांस और रूस के साथ बातचीत शुरू की तो अंग्रेजों, रणजीत सिंह और शाहशुजा के बीच एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार शाहशुजा को अफगानिस्तान का राज्य दिलाने का निश्चय किया गया। [4] अनन्तर दोस्त मुहम्मद का फ्रांस और रूस के साथ सम्बन्ध टूट गया, पर लार्ड ऑकलैंड ने इस पर ध्यान न देकर अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना भेज दी, जिसने कंधार और गजनी विजय कर लिए थे। वि.सं. 1896(ई.सं. 1839) में दोस्तमुहम्मद काबुल का परित्याग कर चला गया, तब शाहशुजा वहां की गद्दी पर बैठाया गया। पीछे से दोस्तमुहम्मद के अंग्रेजों की शरण में जाने पर उसकी पैंशन नियत कर वह कलकता भेज दिया गया। अफगान शाहशुजा से प्रसन्न नहीं थे। अतएव अंग्रेज अधिकारियों के वहॉ रहने पर भी व उपद्रव करने लगे। उनके नेता दोस्तमुहम्मद के पुत्र, ने वहां रखे हुए अंग्रेज सेना अफगानों से सन्धि कर जब वापिस लौटने लगी तो अफगानों ने इन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे एक को छोड़कर शेष सब सैनिक मारे गए। इस प्रकार लार्ड आकलैंड की हानिकारक नीति का परिणाम बुरा ही हुआ। वि.सं. 1898 (ई.सं. 1841) में लार्ड एलिन बरा गवर्नर जनरल होकर भारत में आया था। [5] उसने उस वक्त सब से पहले अफगानिस्तान की गड़बड़ पर ध्यान दिया। उसकी आज्ञानुसार जनरल पोलक की अध्यक्षता में अंग्रेज सेना ने चढ़ाई कर अफ़गानों को परास्त किया। शाहशुजा को अफगानों ने मार डाला था, अतएव दोस्तमुहम्मद को अफगानिस्तान लौटने की इजाजत दे दी गई, जिसने वहॉ पहुॅच कर काबूल की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। काबूल की इस चढ़ाई में अंग्रेज सरकार द्वारा मंगवाऐ जाने पर महाराजा रत्न सिंह ने 200 ऊॅट लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजे थे।

वि.सं. 1899 (अश्विन सुदि 10 ई.सं. 1842 ता. 14 अक्तूबर) को महाराजा ने गवर्नर जनरल से भेंट करने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वहां, सांखू, डूंडलोद इत्यादि में पहुॅचने पर वहां के ठाकुर उसकी सेवा में नजराने आदि लेकर उपस्थित हुए। दिल्ली पहुंचकर महाराजा ने गर्वनर जनरल से मुलाकात की, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया तथा काबुल की लड़ाई में ऊॅटों की सहायता देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। वहां से फाल्गुन सुदि 13 (ई.सं. 1843 ता. 14 मार्च) को महाराजा बीकानेर लौटा।[6]

वि.सं. 1900 (ई.सं. 1844) में अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर तथा सिरसा बठिण्डा के मार्ग में सराऐं, कुऐं तथा मीनारें बनवाने और राहदारी घटाने के सम्बन्ध में लिखा–पढ़ी हुई। महाराजा ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार कर में कमी की एवं मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसकी सूचना गवर्नर जनरल के पास भेज दी। पहले प्रति ऊॅट आठ रूपया कर लगता था, वह घटाकर आठ आना कर दिया गया तथा सामान की प्रति बैलगाड़ी पर एक रूपया कर नियत हुआ। अन्य टटू–खच्चर, भैंसा, बेल इत्यादि जानवरों पर लदकर जाने वाले सामान पर चार आना प्रति जानवर स्थिर हुआ। कर में कमी करने से राज्य को हानि तो हुई, पर व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ तथा अंग्रेज सरकार भी उसके इस कार्य से बहुत खुश हुई।[7]

बहुत दिनों पहले से ही भावलपुर के लोग बीकानेर की सीमा में लूट मार करते थे। अनूपगढ़ के हाकिम ने महाराजा से इसकी शिकायत भी की थी, परन्तु मेल होने के कारण इस समय उसने उनके विरूद्ध कुछ किया नहीं। वि.सं. 1902 आश्विन वदि 13 (ई. सं. 1845 ता. 29 सितम्बर) को फिर भावलपुर के लोगों ने गांव लालगढ़ के कई मनुष्यों को मारकर वहां का मालअ–सबाब लूट लिया। महाराजा से इसकी शिकायत होने पर अंग्रेज सरकार को इसकी सूचना दी थी। कार्तिक मास में 400 भावलपुरियों ने गांव

ततारसर में आकर वहां अपना धूलकोट निर्माण किया। तब दीप सिंह पंवार की अध्यक्षता में बीकानेर की फौज ने जाकर उन्हे घेर लिया। फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, परन्तु इतने से ही उनका उत्पात बन्द न हुआ और वह उपद्रव करते ही रहे। [8]

वि.सं. 1902 मार्गशीर्ष वदि 12 (ई.सं. 1845 ता. 26 नवम्बर) को कप्तान जैक्सन भावलपुर एवं बीकानेर के बीच की सीमा सम्बन्धी झगड़ा निपटाने के लिए बीकानेर गया, वहॉ कुछ दिन ठहरकर वह सूरतगढ़ गया, जहां मि. कनिंगहम भी उससे मिल गया। सीमा सम्बन्धी निर्णय के समय बीकानेर वालों ने कहा कि हमारी सरहद दंदा तक है, लेकिन भावलपुर वाले कहते थे कि सोतर तक हमारी सरहद है। इस विषय का अनुसन्धान हो ही रहा था कि इतने में लाहौर की तरफ सिक्खों में लड़ाई छिड़ जाने की सूचना मिली, जिस पर कनिंगहम उसी समय लौट गया। अंग्रेज सरकार ने बीकानेर से सैना तथा तोपें इत्यादि युद्ध की सामग्री मंगवाई थी, अतएव पौष वदि 10 (ता. 24 दिसम्बर) को कप्तान जैकसन हनुमानगढ़ (भटनेर) पहुँचा और वहॉ से बीकानेरी तोपें, ऊँट तथा सेना आदि साथ ले उसने मलोट, बठिण्डा और सिरसा की तरफ प्रस्थान किया। बीकानेर में सरकारी ऊँट भी थे जो युद्ध के लिए सैना में रखे जाते थे। फिर मुक्तसर पर अधिकार करने के पश्चात् यह सेना तथा बाद में बीकानेर से आई हुई दो तोपें, एक गुब्बारा तथा सवार–सेना आसब वाला में ठहरी। इस सेना को सतलुज पार करने का तो अवसर न आया, क्योंकि वि.सं. 1903 चैत्र सुदि 3 (ई.सं. 1846 ता. 30 मार्च) को लाहौर के महाराजा दलीप सिंह एवं अंग्रेज सरकार के बीच सुलह हो गई, पर उधर के युद्ध में बीकानेर की सेना ने बड़ी वीरता बतलाई। अंत में लड़ाई में बड़ी तत्परता से कार्य करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बीकानेर के सैनिक–सरदारों की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए खिलअतें भेजी, जिस पर महाराजा ने सीधमुख के ठाकुर हठी सिंह, चाहड़वास के बीदावत बखतावर सिंह, खारबारा के भाटी भूपाल सिंह, दीप सिंह पंवार (जैतसीसर), केलां के भाटी मूल सिंह, जसाणे के श्रृंगोत बीका भोम सिंह, श्रृंगोत बीका लछमन सिंह (श्रृंगसर) तथा महाजन, रावतसर, बीदासर, वास, सांखू, नीमा राजपुरा, अजीतपुरा, भाद्रा, सारूंडा, हरासर, सांडवा, बीठणोक और कुंभाणा के प्रधानों तथा अन्य सैनिक अफसरों को, जो सेना में थे, आभूषण तथा सिरोपाव दिए। इस अवसर पर अंग्रेज सरकार की ओर से दो तोपें पूरे संरजाम के साथ महाराजा को उसकी अमूल्य सेवाओं के बदले में भेंट की गई। [9]

भावलपुर का सीमा सम्बन्धी झगड़ा तय न होने के कारण अब भी उधर के लोगों का उपद्रव बीकानेर की सीमा में जारी था। बीकानेर से उनका नियन्त्रण करने के लिए और सरदार लालगढ़ के थाने में नियुक्त किए गऐ, परन्तु भावलपुरियों ने 1500 पैदल सेना तथा कई तोपों के साथ ततारसर में आकर धूलकोट निर्माण करने का प्रयत्न जारी रखा। [10]

पैरा 2

15 अगस्त 1947 के प्रारम्भ के दिनों में बीकानेर नरेश महाराजा सादुल सिंह जी राष्ट्र के स्वातंत्रय संघर्ष में अपना ऐतिहासिक सहयोग समर्पित करके कीर्ति की जिस चरमोत्कर्ष स्थिति तक पहुँच चुके थे। सरदार पटेल, जो स्टेट्स मिनिस्ट्री के इन्चार्ज होने के साथ ही राष्ट्र के गृहमंत्री भी थे, जिनके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा का भार था, यह वह खबर जिसका शीर्षक था 'भावलपुर' (पाकिस्तान) और बीकानेर रियासत के बीच व्यापारिक समझौता सम्पन्न की सूचना से हैरान हो गये। इस खबर के अनुसार भावलपुर के प्रधानमंत्री नवाब मुशताक अहमद गुरमानी और महाराजा बीकानेर के बीच महाराजा साहब के राजमहल में, हुई गुप्त मंत्रणा के बाद एक व्यापारिक समझौता सम्पन्न हो चुका है, जिसके अनुसार दोनों रियासतों के बीचे आपसी रजामंदी से व्यापार यथावत चलता रहेगा। बीकानेर प्रजा परिषद का एक शिष्टमंडल सरदार पटेल को इस बारे में ज्ञापन देने दिल्ली जाने को है। यह खबर बीकानेर से 16 नवम्बर को अर्द्धरात्रि के बाद हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक को उसके निजी संवाददाता ने दाऊदयाल द्वारा तार से भेजी गई थी। सारा भारतीय राजनैतिक जगत इस खबर को पढ़कर चौंक उठा था, क्योंकि यह खबर आने वाले निकट भविष्य में बीकानेर रियासत के भावलपुर में मिलने का पूर्व संकेत दे रही थी। [11]

भावलपुर रियासत, जिसकी सीमाएं बीकानेर राज्य के साथ लगती है, यहॉ बड़ी संख्या में हिन्दू शरणार्थी कुछ अरसे से फॅसे पड़े थे। सरदार पटेल उन फॅसे हुए शरणार्थियों को वहां से निजात दिलवाकर भारत में लाने को तत्पर व उत्सुक थे और साथ ही भावलपुर बीकानेर की सीमा रेखा संबंधी किसी लंबित तनाजे को भी हल करना बाकी था। भारत के रियासती मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में बातचीत के लिए सरदार पटेल ने भारत सरकार के एक फौजी अफसर मेजर शार्ट को बीकानेर भेजा और भावलपुर के प्रधानमंत्री नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी को भी बीकानेर आकर बातचीत करने के लिए रजामंद कर लिया गया था और बीकानेर के प्रतिनिधि बीकानेर में ही थे। एक दिन की बातचीत महाराजा के बल्लभ गार्डन में होकर शरणार्थियों और सीमारेखा का प्रश्न–ले और दे की भावना से तय–हो गया। उसी दिन शाम की गाड़ी से मेजर शार्ट दिल्ली लौट गया और जहॉ तक रिकार्ड का सवाल है गुरमानी साहब को भी उसी दिन भावलपुर लौट जाना अंकित कर दिया गया पर वास्तव में महाराजा साहिब ने अपने लालगढ़ महल में ही किसी गुप्त मंत्रणा के लिए मेहमान के रूप में निवास दिया।

दूसरे दिन ही हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रातःकालीन संस्करण के मुख्य बाक्स में 'बीकानेर भावलपुर व्यापारिक संधि की खबर प्रकाशित हो गई। [12] सरदार पटेल ने राष्ट्र पर आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया और उन्होनें मिलिटरी लाएजन ऑफिसर यानी सैन्य सम्पर्क अधिकारी को भावलपुर बीकानेर की सीमा रेखा पर तैनात कर दिया था और बीकानेर के महाराजा को उक्त अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करने के लिए पत्र भेज दिया क्योंकि यह डिफेंस से जुड़ा हुआ भारतीय यूनियन के अधिकार क्षेत्र का मसला था। भावलपुर–बीकानेर व्यापारिक समझौता एक गुप्त व्यापारिक संधि थी, जिस ने बाद में राजनैतिक संधि का रूप धारण कर लिया था।

महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो सीमाए थी वह बीकानेर राज्य के साथ लगती थी उसी समय से ही सिक्ख समुदाय के लोगों के बीकानेर राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध रहे है, क्योंकि यहॉ बीकानेर से व्यापार संबंधी वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का इलाका, पटियाला रियासत का ईलाका, लख्खी जंगल का क्षेत्र था, वह भी बीकानेर के क्षेत्र के साथ लगता था, जिस कारण बीकानेर के राजाओं ने इस क्षेत्र को अपनी जागीर बना लिया था। बीकानेर के मारवाड़ी व्यापारियों का, पंजाब की व्यापारियों के साथ व्यापार संबंधी आदान–प्रदान होता रहता था। बीकानेर और पंजाब दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। बहुत सारे मारवाड़ी व्यापारी सिक्ख राज्य (पंजाब) में विभिन्न स्थानों पर आकर बस गए थे और व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं का आदान प्रदान करते रहे थे और बहुत सारे सिक्ख समुदाय के लोग भी बीकानेर में व्यापार करने के लिए आते थे वह भी धीरे–धीरे यहॉ आकर बस गए थे। पंजाब के सिक्ख समुदाय के लोग ऊँटों का व्यापार करने के लिए नागौर जाते थे। नागौर में ऊँटों का बड़ा भारी मेला भी लगता है, यह मेला कार्तिक मास (अक्तूबर) महीने की पूर्णिमा को लगता है। इस मेले पर पंजाब से सिक्ख समुदाय के लोग जो व्यापारी है और जो कृषि का कार्य करते है, वह भी ऊँट खरीदने के लिए व बेचने के लिए आते थे। बीकानेर राज्य के मारवाड़ी व्यापारियों का सिक्ख समुदाय के लोगों के साथ व्यापार संबंधी आदान प्रदान होता रहा था। यह व्यापार सिर्फ ऊँटों का ही नहीं होता था।

यहॉ बीकानेर से शुद्ध देसी घी, तेल इत्यादि वस्तुओं का भी इनका आपस में व्यापार होता रहा था। [13] राज्य की प्रजा को बढ़े हुए करों के कारण सदा कष्ट रहता था, जिससे उसने उन करों में बहुत कमी की और यात्रियों के लिए भावलपुर, बठिण्डा, सिरसा के मार्ग में कुंऐं, मीनारें और सरोए भी बनवाई गई थी। उसे ईमारतें बनवाने का भी बड़ा शोक था। वह विष्णु का परमभक्त था। राज रतन बिहारी के मन्दिर की प्रतिष्ठा उसी के समय में हई थी। [14]

संदर्भ

1. डॉ. भगत् सिंह : सिक्ख पोलिटी ईन दी 18जी सेन्चुरीज सिक्ख पोटिली ईन दी 18वीं व 19वीं शताब्दी। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पृष्ठ–239
2. एन.के. सिंहा :– रणजीत सिंह, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, पृष्ठ 66,67,68,69,70
3. दयालदास की ख्यातः– जि.2, पत्र 137–138
4. कर्नल पी.डब्लयू पाऊलेट, गैजेटियर आफ दि बीकानेर स्टेट, पृष्ठ 83, 84, 85
5. वही – पृष्ठ 83, 84, 85
6. दयालदास की ख्यात, जिलद 2, पत्र 142–61
7. दयालदास की ख्यात, जि.2, पत्र 147–81 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
8. दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 150–1 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर
9. दयालदास की ख्यात, जिल्द 2 पत्र 151–41, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। सिक्खों के साथ की इस लड़ाई में सहायता पहुॅचाने के लिए अंग्रेज सरकार ने महाराजा, उसके सरदारों और सैनिकों की बहुत प्रशंसा की। इस सम्बन्ध में कई खरीते और पत्र राज्य में आये, जिनमें से फारेन डिपार्टमैंट के मंत्री–द्वारा राजपूताने के एजेंट टू दि गवर्नर जनरल के नाम लिखे हुए है। ता. 20 अगस्त 1847 ई. (श्रावण सुदि 9 वि.सं. 1904) के एक पत्र (Despatch) में लिखा हैः–

   श्रीमान गवर्नर जनरल को यह जानकर अतीव सन्तोष हुआ कि बीकानेर के महाराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन आपकी अधीनता में रखकर हार्दिक सहायता प्रदान की है। आपकी अधीनता में महाराजा की सेना–द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और स्वामी भक्ति के कार्यो को श्रीमान् बड़ी प्रशंसा के योग्य समझते हैं।'
10. दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 153 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर।
11. दाऊदयाल आचार्य, भारत की स्वतन्त्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान, पृष्ठ 383–392, पब्लिकेशन– चेतना 7ता 30, दक्षिण विस्तार, पवनपुरी बीकानेर सन (1997)
12. वही – पृष्ठ 383 से 392 तक
13. के.डी. ईरसकाईन, राजपुताना गैजटीयर, दी वैशटर्न राजपुताना स्टेटस रेजीडैंसी एण्ड बीकानेर–पृष्ठ 332–335 पब्लिकेशन–विपिन जैन फार विंटेज बुक्स सैक्टर 14, 1992 (गुड़गांव) हरियाणा
14. दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पत्र 168–71
15. के.डी. `ईरसकाईन, राजपुताना गजटीयर, दी वैस्टर्न राजपूताना स्टेटस रेजीडैंसी एण्ड बीकानेर, पृष्ठ 336, 337, 338, पब्लीकेशन, विपिन जैन फार विंटेज बुक्स, सैक्टर 14, (1992) गुड़गांव (हरियाणा)
16. वही – पृष्ठ 336, 337, 338